राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में मूलभूत परिवर्तन लाने हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य के लिये नई सौगात है इसकी शुरूआत इसी वर्ष माह अक्टूबर में हो चुकी है तथा मिशन के कार्य क्रमशः प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं ।

➢ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन :–
- राज्य स्वास्थ्य मिशन का गठन किया जा चुका है ।
- इसी तर्ज़ पर ज़िलों में ज़िला स्वास्थ्य मिशन का गठन किया जा चुका है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का एकीकरण पूर्व में ही कर लिया गया है ।
- राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों का गठन किया जा चुका है।
- राज्य में हर स्तर पर रोगी कल्याण समितियां पूर्व से ही पंजीकृत हैं । इन समितियों के क्रियाकलाप तथा इसका सुदृढ़ीकरण कर इसे अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में किया गया यह प्रयास अब एक नये स्वरूप में जीवनदीप समिति के नाम से संचालित किया जावेगा।
- त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के पदाधिकारियों की भूमिका निर्धारित कर ली गई है। उन्हें निर्णय लेने तथा फंड के सदुपयोग करने की ओर सशक्त किया जा रहा है।
- गुणवत्ता प्रदाता समिति (क्वालिटी एस्योरेंस कमेटी) का गठन राज्य स्तर पर किया जा चुका है तथा जिलों में समिति गठन की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। यह समिति महिला एवं पुरूषों की नसबंदी आपरेशन की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगी व सुझाव देगी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन के लिये राज्य में एक मिशन डायरेक्टर की नियुक्ति कर ली गई हैं ।

➢ 2005–06 के लिये कार्य–योजना
- आशा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में मितानिन कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया जा चुका है।
- प्रत्येक ग्राम, मजरे–टोले में एक मितानिन तय कर ली गई है।
- इस तरह चयनित 60500 मितानिनों के प्रशिक्षण लगभग पूर्ण हो चुका है।
- मितानिनों को प्रसव सेवाओं (सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव, ट्रांसपोर्ट एवं देखभाल) के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु एक पैकेज तैयार किया जा चुका है।
- मितानिन प्रशिक्षण माड्यूल (7भाग) में तैयार कर प्रकाशित किया जा चुका है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण में किया जा रहा है।
- मितानिन कार्यक्रम की समीक्षा राष्ट्रीय मेन्टारिंग ग्रुप द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के संचालन का मूल्यांकन कर सराहना किया।
- उपस्वास्थ्य केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अनटाइट फंड, राज्य के सभी जिलों को (केंद्रों की संख्या के आधार पर) प्रदान किया जा चुका है।

- आई.पी.एच.एस. मानदंडों के आधार पर 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन कर भवन, ओटी, उपकरण, विशेषज्ञ सेवाओं को प्रोन्नत किया जा रहा है। बहुत से केन्द्र कार्यशील भी हो गये हैं।
- चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में महत्वपूर्ण कदम (पालिसी) उठाये हैं जैसे – पी.जी.कोर्स के लिये 2 वर्ष की ग्रामीण सेवा अनिवार्य, संविदा नियुक्ति, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में संविदा नियुक्ति, चिकित्सकों का प्रशिक्षण (मल्टी स्कीलिंग), निजी चिकित्सकों की सेवायें आदि।
- राज्य कार्य योजना – जिलों से कार्ययोजना प्राप्त कर ली गई है तथा इसकी समीक्षा करके अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस आधार पर एन.आर.एच.एम. कार्ययोजना बनाने का कार्य जारी है। सभी जिलों में स्वास्थ्य संबंधी जिला योजना बना ली गई है।
- आयुष कार्य योजना का अंतिम रूप दिया जा चुका है।
- चलित चिकित्सा ईकाई – इसके तहत 64 ईकाईयां राज्य द्वारा संचालित हैं।

➢ योजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा –

- आई.सी.डी.एस., पंचायत राज, सेनीटेशन कार्यक्रमों को समेकित किया जा रहा है तथा सुचारू संचालन हेतु नीति निर्धारण भी किया जा रहा है।
- समग्र टीकाकरण (यू.आई.पी.) के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना बनाकर भारतशासन को भेजी जा चुकी है। राज्य में शिशु सुरक्षा कवच के नाम से ''मोप अप राउंड'' चलाया जा रहा है।
- जननी सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा लागू करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रसारित किये जा रहे हैं।
- मिशन के अंतर्गत पी.पी.पी., हेल्थ इंश्यूरेंस, स्वास्थ्य मेला, स्वास्थ्य परक व्यवहार (बी. सी.सी.), एम.आई.एस., 24घंटे डेलीव्हरी, एच.आर.डी., दवा नीति आदि बिंदुओं पर भी कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।